न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या–148/2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023/173

अपीलान्ट

बिदामी पुत्री रूघाराम,कौम–जाट,
निवासी–लाडपुरा, तहसील–
रियांबड़ी जिला–नागौर, राज.

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. कैलाशराम पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर, राज०
2. सुन्दरी पुत्री रूघाराम कौम जाट निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर,
3. रामसुख पुत्र बींजाराम कौम जाट निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर।(गोद गया)
4. उगमाराम पुत्र बींजाराम कौम जाट निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर
5. सायरी पत्नी बींजाराम फौत के कायम मुकामान रेस्पो.सं. 3 व 4
6. मिसु पुत्र अलादीन कौम लुहार फौत के कायम मुकामान

6/1.शहाबुदीन पुत्र मिसु कौम लुहार निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर, राज0

7. सुवा पुत्र अलादीन कौम लुहार निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर
8. लाला पुत्र अलादीन कौम लुहार निवासी लाडपुरा तहसील रियाबड़ी जिला नागौर
9. तहसीलदार,रियाबड़ी,तहसील–रियाबड़ी जिला नागौर।
10. उप तहसीलदार,भैरून्दा,तहसील–रियाबड़ी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री डुंगरराम चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4,6/1,7,8 की ओर से वकील श्री भगवानराम सारस्वत उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया उपस्थित ।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा बावजूद तामिल प्रकरण पैरवी में भाग नहीं लिया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

:: निर्णय ::

दिनांक :–08.01.2025

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा लाडपुरा तहसील,डेगाना का म्यूटेशन संख्या 1124 जो नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा स्वीकृत आदेश दिनांक 31.01.1995 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 08.09.2023 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ अपील मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व उसकी सगी बहिन सुन्दरी व माता अनपढ, ग्रामीण परिवेश की महिला व भोली प्रवृति की होने का नाजायज फायदा उठाने एवं अपीलांट व सुन्दरी की पैत्रिक बहुमुल्य भूमियां हड़पने की बदयान्ती से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश को रूघाराम का पुत्र बताकर खातेदारी दर्ज करवा ली व खेत हाल खसरा नं. 155 मौजा लाडपुरा में रूघाराम के फौतगी नामान्तरकरण में उतराधिकारियो में अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी का उतराधिकार में नाम दर्ज करवा दिया तथा इस खसरे की भूमि से ही सब्र कर लेने व उपरोक्त तमाम अपीलाधीन खेतों से हट जाने की धमकियां रेस्पो.सं. 1 व 4 ने सन् 2021 के जेठ, वैशाख माह में दी। अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी ने गांव में व रिश्तेदारो को बुला कर पंचायती करवाई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 उन्हे अपने पैत्रिक खेतों से बेदखल नहीं करें और न ही उनके कब्जा काश्त में कोई अड़चन पैदा करे। मगर रेस्पो. सं. 1 व 4/1 नहीं माने और रेस्पो.सं. 1 को गोद पुत्र होने की धमकी दी तो अपीलांट ने अपने रिश्तेदारों की सहायता से रियाबड़ी जाकर उपरोक्त खेतो के संबंध में अपना नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही सन् 2021 के आखिरी चौमासे में करवाई मगर अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी, गरीब व अनपढ, कानूनी अज्ञानता वाली औरत जात होने से व उनके रिश्तेदार भी पशुधन चराने वाले होने से उन्हे भी कोई कानूनी जानकारी नहीं होने से व गरीब स्थिति में होने से नये अधिवक्ता को नियुक्त कर लेने से अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी को प्रोपर कानूनी सलाह नहीं मिल पाई और उन्होने एक वाद भी पेश करवाया तथा एक फौजदारी मुकदमा एफ. आई. आर. नं. 267/2022 दिनांक 6.11.2022 को पुलिस थाना,थांवला में दर्ज करवाई मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सगे भाई को पक्षकार बनाते हुऐ सहायक कलक्टर एवं एस.डी.ओ. रियाबड़ी के न्यायालय में अपीलांट व सुन्दरी को पक्षकार बनाये बिना ही राजस्व वाद संख्या 266/2021 दिनांक 22.9.2021 को पेश कर जल्दबाजी में ही दिनांक 21.10.2021 को ही डिक्री करवा लिया, को आधार बनाते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4/1 ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी को प्रभाव में लेकर मामले को सिविल नेचर का होना कह कर एफ.आर. लगवाकर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,डेगाना में नतीजा पेश करवा दिया जिसमें अपीलांट द्वारा ऐतराज पेश कर उच्च पुलिस अधिकारियो से तफतीश के लिए एक आवेदन उक्त न्यायालय में धारा 173 (8) सी.आर.पी.सी.का पेश किया हैं। उपरोक्त फर्जी, शून्य प्रभावी जैर अपील म्यूटैशन के विरूद्ध अपील करने की सलाह व वाद संख्या 266/2021 की अपील करने की सलाह नहीं मिलने से अज्ञानतावश अपीलांट ने अपील पेश नहीं की।रेस्पोडेन्ट सं.1 व 4 द्वारा दिनांक 1.9.2023 को खेत खाली करने का जबरदस्ती दबाव डालने पर पुनः अपीलांट अपने रिश्तेदार को लेकर पुलिस

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

थाना,थांवला गई तब पुलिस वालो ने कहा कि गलत म्यूटैशन के विरूद्ध अपील पेश करो तथा निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील पेश करो, पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। तब दिनांक 4.9.2023 को अपने रिश्तेदार को साथ लेकर नकल का आवेदन पेश करवा कर दिनांक 4.9.2023 को सायं को नकल प्राप्त की और अपील का खर्चा जुटा कर दिनांक 6.9.2023 को नागौर आकर अपील तैयार करवाई तथा दिनांक 7.9.2023 को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश होने से यह अपील दिनांक 8.9.2023 को पेश की गई है। इस प्रकार यह अपील प्रथम मिली कानूनी जानकारी से अन्दर मियाद हैं तथा लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रकरणों में मियाद अधिनियम का कानून भी लागु नहीं होता हैं तथा अपीलांट की अपील को उपरोक्त कारणो से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत हैं।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्याय हित में अपील पेश करने में हुवे विलम्ब को माफ करते हुवे अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में RRT 2017(2) पेज 1105, RRD 2020 पेज 134, RRT 2004(1) पेज 375, RRT 2018(1) पेज 186 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि माननीय न्यायालयों ने इन निर्णयों में यह माना हैं कि अपील को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिऐ,नामान्तरकरण जब अवैध हैं हो तो इन प्रकरणों में विलम्ब कोई महत्व नहीं रखता हैं। इन निर्णयों में यह भी माना हैं कि न्यायालय को अपील के गुणावगुण पर पूर्व शर्त के रूप में विचार करना जरूरी हैं और जब तक अपील एकदम गुणहीन नहीं पाई जावें,सामान्यतया अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान का कथन हैं कि नामान्तरण जैर अपील दिनांक 31.01.1995 को स्वीकृत को हुआ हैं तथा अपील दिनांक 08.09.2023 पेश की गई हैं। इस प्रकार 25 वर्ष बाद इस स्वीकृत आदेश की अपील पेश की गई हैं,जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपील के साथ प्रस्तुत देरी माफी आवेदन–पत्र में अपील विलम्ब के कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किये गये हैं तथा प्रति दिन विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया हैं। प्रश्नगत नामान्तरण में पारित आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी,उसके बावजूद उन्होंने इस आदेश को चुनौती नहीं दी हैं। हमारे द्वारा पारिवारिक बंटवाड़ा के अनुसार कोर्ट से डिक्री भी प्राप्त की गई हैं तथा डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज भी किया जा चुका हैं। इन सब तथ्यों की जानकारी अपीलांट को थी उसके बावजूद आदेश को चुनौती नहीं दी गई,अब केवल रेस्पोडेन्टान को परेशान करने एवं नुकसान पहूँचाने तथा रूपये ऐटने के उद्धेश्य से यह अपील पेश की गई हैं,जो मयाद बाहर होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का कथन हैं कि वकील अपीलांट द्वारा पेश किये माननीय न्यायालय के निर्णयों की नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। यह अपील बहुत विलम्ब से पेश की गई हैं तथा बिलम्ब के पूर्ण आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर,रियांबड़ी की डिक्री के आधार पर खातेदारियॉ अलग–अलग दर्ज की जा चुकी हैं तथा जब तक डिक्री को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता जब तक इस अपील के माध्यम से नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलांट द्वारा पेश किये माननीय न्यायालय के दृष्टान्तों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में कानूनी बिन्दू निहित होने से अपीलांट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

मूल अपील की बहस में वकील अपीलान्ट ने तर्क किया कि मौजा लाडपुरा की सरहद में पुराने खसरा नं. 310 मिन हाल खसरा नं. 156, 157, पुराना खसरा नं. 311 हाल खसरा नं. 157, पुराना खसरा नं. 312 हाल खसरा नं. 157 पुराना खसरा नं. 313 हाल खसरा नं. 157, पुराना खसरा नं. 309 मिन हाल खसरा नं. 141, 142, पुराना खसरा नं. 250 हाल खसरा नं. 287, पुराने खसरा नं. 110/17 हाल खसरा नं. 430 में अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुन्दरी के पिता रूघाराम पुत्र सुजाराम जाति–जाट, निवासी–लाडपुरा अपने हिस्से के सहखातेदार थे। इनके अलावा एक खेत हाल खसरा नं. 155 मौजा लाडपुरा भी अपीलांट के पिता रूघाराम के एक मात्र कब्जा काश्त खातेदारी का खेत रहता चला आया हैं। अपीलांट के पिता रूघाराम के देहान्त के बाद उक्त खसरा की भूमियों अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी व माता पानीदेवी को उतराधिकार में प्राप्त हुई हैं तथा स्व. रूघाराम जी के विधिक उतराधिकारी अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी व माता पानीदेवी के अलावा कोई अन्य वारीस नहीं थे। अपीलांट के कोई जायंदा सगा भाई नहीं था, केवल अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी दो बहिने ही है अर्थात स्व. रूघाराम के सिर्फ दो पुत्रीयां संतान ही थी। अपीलांट की माता पानीदेवी अनपढ़, ग्रामीण महिला थी व अपीलांट तथा फोरमल रेस्पो.सं. 2 सुन्दरी भी अनपढ, ग्रामीण परिवेश की महिलाऐ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 जो कि अपीलांट के पिता रुधाराम का सगा भतीजा है, ने अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 सुन्दरी की उपरोक्त पैत्रिक भूमियों को हड़पने की बदयान्ती से यह जानते हुऐ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 उगमाराम का जायंदा पुत्र है, को रूघाराम जी के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1124 व 1125 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश को रूघाराम का पुत्र बता कर खातेदारी में पटवारी दुदाराम से मिली भगती करके दर्ज करवा लिया। अपीलांट व उसकी बहिन सुन्दरी व माता पानीदेवी का नाम म्यूटेशन में दर्ज नहीं करवाया। जबकि रूघाराम के जायंदा कोई पुत्र संतान नहीं थी और न ही रूघाराम ने अपने जीवनकाल में कभी किसी को गोद ही लिया। अपीलांट व उसकी सगी बहिन सुन्दरी व माता अनपढ, ग्रामीण परिवेश की महिला व भोली प्रवृति की होने का नाजायज फायदा उठाने एवं अपीलांट व सुन्दरी की पैत्रिक बहुमुल्य भूमियां हड़पने की बदयान्ती से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश को रूघाराम का पुत्र बताकर खातेदारी दर्ज करवा ली।

उपरोक्त जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा एक फौजदारी मुकदमा एफ.आई.आर.नं. 267/2022 दिनांक 6.11.2022 को पुलिस थाना,थांवला में दर्ज करवाई थी मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सगे भाई को पक्षकार बनाते हुऐ सहायक कलक्टर एवं एस.डी.ओ.,रियाबड़ी के न्यायालय में अपीलांट व सुन्दरी को पक्षकार बनाये बिना ही राजस्व वाद संख्या 266/2021 दिनांक 22.9.2021 को पेश कर जल्दबाजी में ही दिनांक 21.10.2021 को ही डिक्री करवा लिया, को आधार बनाते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4/1 ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी को प्रभाव में लेकर मामले को सिविल नेचर का होना कह कर एफ. आर. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,डेगाना में नतीजा पेश करवा दिया जिसमें अपीलांट द्वारा ऐतराज पेश कर उच्च पुलिस अधिकारियो से तफतीश के लिए एक आवेदन उक्त न्यायालय में धारा 173 (8) सीआर.पी.सी. का पेश किया हैं। उपरोक्त फर्जी, शून्य प्रभावी जैर अपील म्यूटैशन के विरूद्व अपील करने की सलाह व वाद संख्या 266/2021 की अपील करने की सलाह नहीं मिलने से अज्ञानतावश अपीलांट ने अपील पेश नहीं की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 4/1 द्वारा दिनांक 1.9.2023 को खेत खाली करने का जबरदस्ती दबाव डालने पर पुनः अपीलांट अपने रिश्तेदार को लेकर पुलिस थाना थांवला गई तब पुलिस वालो ने कहा कि गलत म्यूटैशन के विरूद्व अपील पेश करो तथा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील पेश करो, पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हैं। तब जाकर हमने यह अपील श्रीमान् के सामने पेश की हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का कथन हैं कि स्व0 सुजाराम का सजराखानदान इस प्रकार हैं :–

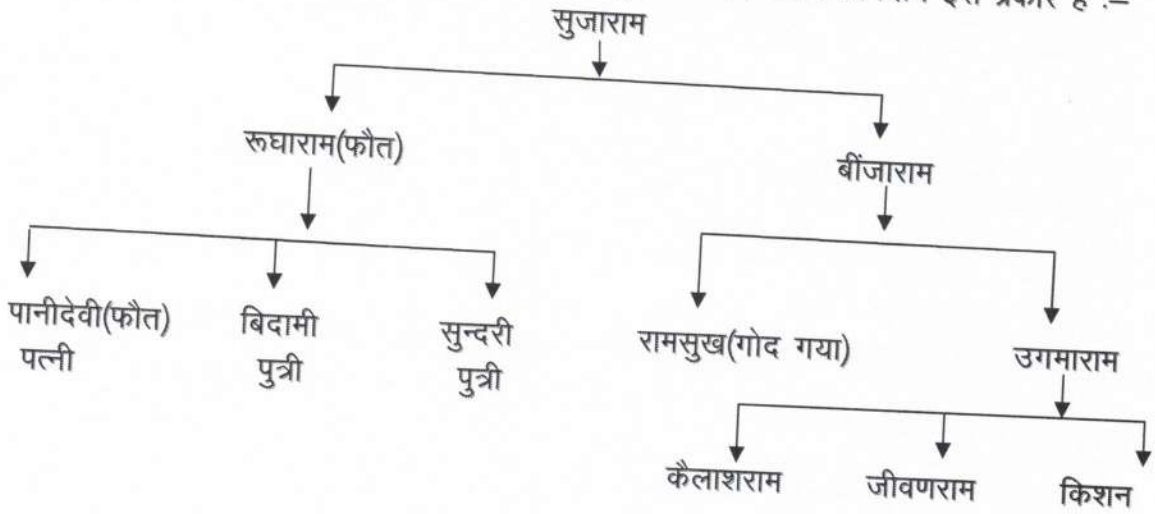

इस प्रकार उपरोक्त सजराखानदान अनुसार रूघाराम जी के उत्तराधिकार में केवल उनकी पत्नी व दो पुत्रीयॉ थी। खेत खसरा नम्बर 155 मौजा लाडपुरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रूघाराम के कब्जा काश्त खातेदारी का खेत था,जिसका देहान्त हो जाने पर उतराधिकार से नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया हैं,जिससे यह स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुन्दरी का भाई नहीं हैं अर्थात् स्व0 रूघाराम का जायंदा पुत्र कोई नहीं होते हुवे भी पटवारी हल्का ने रूघाराम जी के फौत होने पर अपीलांट की माता पानीदेवी पत्नी रूघाराम के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जायंदा लड़का बताकर जेर अपील म्यूटेशन भरा और नायब तहसीलदार,डेगाना ने बिना कोई जांच पड़ताल किये ही सरसरी तौर पर ही अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया हैं, जबकि इस म्यूटेशन में स्व0 रूघाराम जी के फौत होने के बाद केवल उनकी पत्नी पानी देवी एवं दो पुत्रिया अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जाना था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का स्वीकृति आदेश विधि विरूद्व होने से यह आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1,रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का जायन्दा पुत्र हैं,जो हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत राशन कार्ड,जन आधार एवं वोटर लिस्ट की प्रतियों से साबित भी हैं। रेस्पोडेन्ट स्व0 रूघाराम का पुत्र नहीं होते हुवे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज करने में वाकायता विधिक त्रुटि की हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं एस.डी.ओ. रियाबड़ी के न्यायालय में पेश राजस्व वाद संख्या 266/2021 बअनवान किशन बनाम कैलाशराम वगैरा में वाद के पैरा संख्या 1 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई किशन ने यह तथ्य दर्ज किया कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है जिसमें प्रतिवादी कैलाशराम दर्ज है जिसे अपने पिता उगमाराम के संयुक्त परिवार का सदस्य बताया। चूंकि बींजाराम व रूघाराम सगे भाई थे और स्व. रूघाराम उगमाराम भतीजा है जिससे रूघाराम के व उगमाराम का संयुक्त परिवार कतई नहीं था। इसी वाद के पैरा संख्या 3 में यह तथ्य दर्ज किया कि

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

रूघाराम जी के कोई जायंदा पुत्र नहीं था, जिससे रूघाराम जी ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद ले लिया, इस प्रकार से यह तथ्य कि एक तरफ से जैर अपील म्यूटेशन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जायंदा पुत्र के रूप में दर्ज किया तथा रूघाराम की पत्नी पानादेवी को नाबालिग का संरक्षक बताया गया है और दुसरी तरफ इस उपरोक्त दावा में गोद पुत्र बताया गया है और इन्हीं तथ्यो को सही व सत्य मानते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सगे भाई किशन व जीवण के साथ इस कोलीजीव दावे में कोलिजीव राजीनामा अर्थात दुःरभिसंधी से राजीनामा पेश कर वाद के तथ्यो को स्वीकार किया तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं एस.डी.ओ.,रियाबड़ी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत राजीनामा को तस्दीक किया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक रूघाराम का न तो जायंदा पुत्र है न ही गोद पुत्र है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व उसके उप अनुच्छेदो में अचल सम्पति में हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड गोदनामा अनिवार्य बताया गया है तथा दत्तकग्रहण के लिए भी दत्तकनामा को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य बताया गया है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में किसी स्थावर सम्पति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसी सुरत में जैर अपील म्यूटेशन बिना किसी आधार के बिल्कुल फर्जीवाड़ा करके मिथ्या रचना कर फर्जी तरीके से भर कर पेश कर स्वीकृत करवाया गया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्त लायक है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर म्यूटैशन जैर अपील निरस्त किया जावे तथा मामले को पुनः अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम रूघाराम का फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार,रियांबड़ी को रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का दौराने बहस कथन हैं कि फौतगी नामान्तरकरण नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा विधिवत् बाद जांच तमाम तथ्यों की जांच के बाद स्वीकृत किया हैं तथा इस स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 1124 की पूरी जानकारी स्व0रूघाराम की पत्नी एवं अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को होने के बावजूद उन्होने इस म्यूटेशन के स्वीकृत आदेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी थी। अब किन्हीं पारिवारिक बातों को लेकर अपीलांट की पारिवारिक अनबन् होने से तथा रेस्पोडेन्ट को झूठा परेशान करने एवं इनसे रूपये एंटने के उद्धेश्य से यह अपील पेश की हैं,जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन हैं कि इस स्वीकृति आदेश को 25 वर्षो बाद चुनौती दी जाकर यह अपील पेश की हैं,जो मयाद बाहर हैं तथा इतने लम्बे समय का बिलम्ब माफी के कोई पर्याप्त कारण पत्रावली में मौजूद नहीं हैं,इसलिए यह अपील खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी तर्क था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारों के बीच प्रश्नगत भूमि का बंटवाड़ा न्यायालय सहायक कलेक्टर,रियांबड़ी से हो चुका हैं,इसलिए जब तक न्यायालय की डिक्री प्रभावी हैं,इस नामान्तरकरण अपील की आड़ में उस डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। नामान्तरकरण तो एक संक्षिप्त कार्यवाही हैं। अगर अपीलांट के कोई हक प्रभावित हुवे हैं तो उनको सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने हक तय करवाने चाहिये।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन था कि प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 31.01.1995 को स्वीकृत किया गया है,जबकि पुत्रियां को पैतृक सम्पत्ति में हिस्से की हकदार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956–धारा 6(यथा संशोधन) से दिनांक 09.09.2005 से माना हैं,इसलिए स्व0 रूघाराम की सम्पत्ति में अपीलांट को कोई हिस्सा नहीं हैं। क्योंकि अपीलांट के पिता दिनांक 09.09.2005 से पूर्व फौत हो जाने से अपीलांट को उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं रहा हैं। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन हैं कि पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन पक्षकारों की आपसी सहमति से दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

20.12.2004 से पूर्व हो चुका हैं इसलिए इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम,1956–धारा 6(5)(यथा संशोधन) पूर्व हुवे पारिवारिक सम्पत्ति पर लागू नहीं किये जा सकते हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2012(2) पेज 350 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि इस प्रकरण में यह नजीर पूर्णतया चस्पा होती हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1124 के अवलोकन से ग्राम लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 310,311,312,313,309,250 व खसरा नम्बर 110/17 के सह खातेदार रूघाराम पुत्र सुजाराम फौत होने से पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में रूघाराम फौत हुए छः माह हो चुका हैं अतः इनके जायन्दा पुत्रों के नाम नामान्तरकरण कैलाशराम व पानी बेवा रूघराम के नाम भरा जाकर स्वीकृति हेतु पेश हैं कि रिपोर्ट दर्ज की हैं तथा कॉलम संख्या 9 में कैलाशराम पुत्र रूघाराम नाबालिंग संरक्षक माता पानी बेवा रूघाराम दर्ज किया हैं तथा भू0अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में जमाबंदी से तुलना की अंकन ठीक हैं अंकित किया हैं तथा नायब तहसीलदार,डेगाना द्वारा दिनांक 31.01.1995 को स्वीकृति का आदेश पारित किया हैं। प्रस्तुत अपील में बिदामी एवं सुन्दरी पुत्रीया रूघाराम दर्ज करते हुवे यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील में बिदामी एवं सुन्दरी पुत्रीयां रूघाराम दर्ज किये जाने में रेस्पोडेन्ट द्वारा भी कोई एतराज प्रकट नहीं किया। तथा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी नकल ग्राम लाडपुरा खाता संख्या 439/194 खसरा नम्बर 155 में दर्ज सहखातेदारी में बिदामी पुत्री रूघा हिस्सा 1/4 व सुन्दरी पुत्री रूघा हिस्सा 1/4 दर्ज हैं। प्रस्तुत जमाबंदी नकल ग्राम लाडपुरा के खसरा संख्या 308 सम्वत् 2057–2060 में लगाये नोट फौतगी ना0सं0 1449 दिनांक 05.09.04 के द्वारा रूघा पुत्र सुजा के स्थान पर सुन्दरी,बिदामी पुत्री रूघाराम दर्ज किया का अंकन हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता हैं कि अपीलांट बिदामी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुन्दरी, स्व0 रूघाराम की पुत्रीयां हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुन्दरी,स्व0 रूघाराम की पुत्रीयां होने से प्रश्नगत भूमि में उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन से फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना तो स्पष्ट हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की जॉच के संबंध में किस साक्ष्य के आधार पर फौतगी का नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया यह स्पष्ट नहीं हैं। क्योंकि पत्रावली में प्रस्तुत राशन कार्ड प्रति,जनआधार प्रति एवं निर्वाचन नामावली में कैलाश पुत्र उगराराम दर्ज हैं,जबकि इस नामान्तरकरण में कैलाश पुत्र रूघाराम दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायालय सहायक कलेक्टर,रियांबड़ी के राजस्व वाद अन्वान किशन बनाम कैलाशराम के वाद की प्रति में प्रतिवादी के नाम में कैलाशराम पुत्र रूघाराम दर्ज किया गया तथा पेरा संख्या 3 में रूघाराम जी ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद लेना अंकित किया हैं परन्तु गोद सम्बन्धित कोई दस्तावेज या फिर गोदपुत्र होने का वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस में नहीं बताया गया हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर कैलाशराम पुत्र रूघाराम नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज किया स्पष्ट नहीं हैं,क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकार्ड में केवल मात्र नामान्तरण संख्या 1124 ही प्राप्त हुआ हैं,इनसे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज/रेकार्ड प्राप्त नहीं हुवे हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट हैं कि स्व0 रूघाराम के फौत होने पर उनकी भूमि का फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय,स्वीकृत करते समय स्व0 रूघाराम के विधिक वारिसान की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पूर्ण जॉच नहीं की गई हैं एवं न ही उनके सभी वारिसान को नामान्तरकरण स्वीकृति के समय सुनवाई का कोई अवसर दिया गया हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील में पारित किया गया आदेश दिनांक 31.01.1995 विधि विरूद्व,त्रृटिपूर्ण एवं मृतक के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया हुआ होने से इस आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण 1124 में पारित आदेश दिनांक 31.01.1995 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण नायब तहसीलदार, भैरून्दा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वह प्रकरण से संबधित सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे मृतक खातेदार स्व0 रूघाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर,नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि किसी न्यायालय से रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश प्रश्नगत नामान्तरकरण की भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं तो उस न्यायालय के निर्णय से पूर्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय को मूल नामान्तरकरण पुनः लौटाया जावें तथा निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर